प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)...[illegible]

पीठासीन अधिकारी :- विश्वामित्र मीणा RAS

उनवान

सतीस वगैरा **बनाम** बलबीर वगैरा

बाबत :- दस्तन्दाजी बेजा रोकने u/s 188 RT Act 1955

मुकदमा नम्बर :- 226/3-09-2012

निर्णय दिनांकः- 13-06-2017

वादी की ओर से वादी स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से —

की उपस्थिति में आज तारीख 13-06-2017 को विश्वामित्र मीणा (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती कि - वादीगण विवादित आराजी ख.नं. 226/0-06 बीघा वाके ग्राम जमालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर की नियमानुसार पैमाईश करावें। तत्पश्चात पैमाईश रिपोर्ट में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण विवादित आराजी पर पाया जाता है तो प्रतिवादीगण दस्तन्दाजी बेजा से पाबन्द रहेंगे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखेंगे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय खुले कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे ।

यह आज तारीख 13-06-2017...... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

( )

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

Scanned by CamScanner

13/6/17 आज पत्रावली ई-कोर्ट लोक अदालत में पेश हुई। वादी वकील उप.। सुना गया। रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रतिवादीगण की पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादी विवादित अपनी खेतदारी की आराजी की पैमाइश करावें यदि पैमाइश रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादी इकतर्फा नहीं करेंगे/ हटा लेंगे रहेंगे। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय खुले कोर्ट में सुनाया गया।

[illegible signature]